

ई-डिस्ट्रिक्ट के अन्तर्गत जारी...



उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला

अलीगढ़

तहसील

इगलास

आवेदन क्र०

211430030075559

जारी दिनांक: 11/06/2021

प्रमाणपत्र क्र०

125213007364

प्रमाणित किया जाता है कि

पुत्र/पुत्री

माता का नाम

निवासी

ग्राम

तहसील

जिला

अजीत सिंह ठेनुआ

रमेश चन्द

माया देवी

, नि० ग्राम - बड़ा कला पोस्ट- कारस

इगलास

अलीगढ़



उत्तर प्रदेश राज्य की जाति जाति के व्यक्ति हैं। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम १९५४ की अनुसूची एवं के अन्तर्गत मारवाता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि **अजीत सिंह ठेनुआ** पूर्वोक्त अधिनियम १९५४ (यथा संशोधित) की अनुसूची २ (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००१ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो ३०१० लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००२ एवं आसनवेद संख्या 22/16/92 टी० सी०-III, दिनांक २० अक्टूबर २००८ द्वारा संशोधित की गई है, से आच्छादित नहीं है।

इसके माता-पिता की निम्नलिखित वर्गों की अवधि के तहत सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धन का अधिनियम १९५३ में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति नहीं है।



जारी कर्ता केन्द्र: दिनेश कुमार, जयन जल सेवा केंद्र

SAURABH

यह दिनेश कुमार, केन्द्र प्रभारी

YADAV

स्थान: SUBHASH GRAM

ALIGARH, इगलास, उत्तर प्रदेश

ग्राम, इगलास, इगलास

दिनांक: 14/06/2021

हस्ताक्षर एवं मुहर

Digitally Signed by
SAURABH YADAV
DIRECTOR
REVENUE
DEPARTMENT
ALIGARH DISTRICT
UTTAR PRADESH

सहायक अधिकारी/तहसीलदार

विजित्य हनुमान्

इगलास, अलीगढ़

दिनांक: 11/06/2021

यह प्रमाण पत्र डिजिटल सिग्नेचर द्वारा प्रमाणित किया गया है तथा डिजिटल सिग्नेचर से हस्ताक्षरित है। सम्बंधित केन्द्र के अधिकृत कर्मी द्वारा प्रमाणित किया गया है। यह प्रमाण पत्र केवल आरक्षण के लिए ही प्रयोग किया जा सकता है। अधिकृत कर सत्यापित किया जा सकता है।